

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 221 / 17

संस्थापन दिनांक:-05 / 05 / 11

फायलिंग नं. 283 / 17

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

1. जितेंद्र उर्फ जित्तू पिता दल्लू मेहरा, उम्र 21 वर्ष,
 2. शिवराज पिता कमलचंद गोहे, उम्र 30 वर्ष
- दोनों निवासी बंजारीढाल ठानी,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 05.05.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त जितेंद्र उर्फ जित्तू के विरुद्ध धारा 279 भा0दं0सं0 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 28.04.2017 को दोपहर करीब 02:30 बजे स्थान थाना आमला से 06 किलोमीटर उत्तर में दिनेश परते के घर के सामने आम रास्ता बंजारी ढाल ठानी आमला में होंडा ड्रीम मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमएन-7173 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को बिना लायसेंस के चलाया। अभियुक्त शिवराज पर धारा 5/180 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने उक्त घटना के समय अपनी मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमएन-7173 को बिना अनुज्ञप्ति धारक जितेंद्र उर्फ जित्तू को चलाने को दिया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 28.04.2017 को दोपहर करीब 02:30 बजे मजदूरी कर अपनी सायकिल से खाना खाने अपने घर जा रहा था। तभी दिनेश परते के घर के सामने सामने से आ रही मोटर सायकिल स्प्लेंडर काले रंग के चालक जितेंद्र ने तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसे सामने से टक्कर मार दिया जिससे उसे दाहिने हाथ के अंगूठे एवं पेट में चोट आयी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में काले रंग की मोटर सायकिल स्प्लेंडर के चालक जितेंद्र के विरुद्ध अपराध क्र. 223/17 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमएन-7173 को जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त के

पास ड्रायविंग लायसेंस न होने से अभियोग पत्र में धारा 3/181 एवं धारा 5/180 मोटरयान अधिनियम का ईजाफा किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त जितेंद्र उर्फ जित्तू को धारा 337 भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त जितेंद्र उर्फ जित्तू के विरुद्ध लगे धारा 279 भा०द०सं० एवं धारा 3/181 एवं अभियुक्त शिवराज के विरुद्ध लगे धारा 5/180 मोटरयान अधिनियम का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्तगण का विचारण किया गया।

4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं उन्हें झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त जितेंद्र उर्फ जित्तू ने मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमएन-7173 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त जितेंद्र उर्फ जित्तू ने उक्त वाहन को बिना लायसेंस के चलाया ?
3. क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त शिवराज ने अपनी मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमएन-7173 को बिना अनुज्ञप्ति धारक जितेंद्र उर्फ जित्तू को चलाने को दिया ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02 एवं 03 का निराकरण

6 अम्मीलाल (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना कुछ दिन पहले की है। घटना के समय वह अपनी सायकिल से अपने घर की ओर आ रहा था। तभी उसने अपनी सायकिल बिना देखे मोड़ ली तभी सामने से ओ रही काले रंग की मोटर सायकिल वाले ने गाड़ी में ब्रेक लगाये तेज आवाज से दबाराकर वह सायकिल से गिर गया जिससे उसे अंगूठे में चोट आयी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाने में प्रदर्श पी-1 रिपोर्ट की थी तथा पुलिस ने मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था।

7 न्यायालय द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने मोटर सायकिल से तेजी और लापरवाही से चलाकर उसकी सायकिल में टक्कर मार दी थी जिससे वह गिर गया था। साक्षी ने इस बात को भी गलत बताया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 एवं पुलिस कथन प्रदर्श पी-3 में अभियुक्त द्वारा मोटर सायकिल से टक्कर मारना बताया था। स्वतः में साक्षी ने कहा कि उसने यह बताया था कि एक काले रंग की मोटर सायकिल का चालक उसकी सायकिल के सामने आया था। इस प्रकार साक्षी अम्मीलाल (अ.सा.-1) ने घटना दिनांक को कथित वाहन अभियुक्त द्वारा चलाये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

विचारणीय प्रश्न क. 03 का निराकरण

8 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त जितेंद्र उर्फ जित्तू के द्वारा मोटर सायकिल क. एमपी-48-एमएन-7173 को चलाया गया। तब ऐसी स्थिति में यह भी प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त के द्वारा वाहन को बिना लायसेंस के चलाया गया तथा अभियुक्त शिवराज ने अपना वाहन बिना लायसेंस धारी को चलाने को दिया। जब प्रकरण में यह प्रमाणित नहीं है कि घटना दिनांक को अभियुक्त द्वारा उक्त मोटर सायकिल को चलाया गया तब ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाया जाना प्रमाणित नहीं माना जा सकता। फलतः अभियुक्त जितेंद्र उर्फ जित्तू को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 एवं धारा 3/181 तथा अभियुक्त शिवराज को धारा 5/180 मोटरयान अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

9 अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

10 प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल क. एमपी-48-एमएन-7173 उसके पंजीकृत स्वामी अभियुक्त शिवराज पिता कमलचंद को प्रदान की जावे।

11 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)